न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः— श्री अखिलेश कुमार पिपल आर.ए.एस.

अपील संख्याः—349/2020 (GCMS No. 2020/00356) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. किशनसिंह पुत्र खूबीराम निवासी ग्राम लालौनी हार पोस्ट महरौली तहसील बाडी जिला धौलपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. जगदीश पुत्र हरीसिंह जाति जाट निवासी ग्राम लालौनी हार तहसील बाडी जिला धौलपुर। दौराने अपील फौत

1/1 जोगेन्द्र उर्फ कैकईया
1/2 योगेन्द्र उफ कलुटी
1/3 हेमन्त उर्फ चतुरी
} पुत्रगण स्व. जगदीश जातिगण जाट निवासी ग्राम लालौनी हार तहसील बाडी जिला धौलपुर

1/4 कविता पुत्री स्व जगदीश पत्नि अजयसिंह जाति जाट निवासी ग्राम खेरली तहसील मनियां जिला धौलपुर

2. आवंटन कमेटी जरिये उपखण्ड अधिकारी बाडी।

.....रैस्पोडैन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर धौलपुर दिनांक 31.12.2015 प्रकरण संख्या 11/2015 उनवानी किशनसिह बनाम जगदीश

उपस्थितिः—

1. श्री निशान्त भार्गव, वकील अपीलान्ट
2. श्री राजेन्द्र सिंह राना, वकील रेस्पोडैन्ट
3. राजकीय अभिभाषक

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

नि र्ण य दिनांक : 05.04.2023

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर धौलपुर के आदेश दिनांक 31.12.2015 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रत्यर्थी क्रमांक 1 के पक्ष में दिनांक 22.06.1989 को ग्राम लालौनी हार तहसील बाडी स्थिति आराजी खसरा नम्बर 579 रकवा 6 बीघा 10 विस्वा के आवंटन को चुनौती देते हुये अपीलान्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद सुनवाई अपीलान्ट का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्व यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडैन्टगण व तहत न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। बहस उभयपक्ष सुनी गई।
3. दौराने बहस विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्व एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी पर प्रत्यर्थी का कब्जा मानने में कानूनी व तथ्यात्मक त्रुटि की है। तहसीलदार बाडी की रिपोर्ट दिनांक 27.07.2015 व मौका पर्चा दिनांक 23.07.2015 से यह साबित था कि प्रत्यर्थी का विवादित आराजी पर कोई कब्जा नहीं रहा है। पटवारी हल्का की तस्दीक रिपोर्ट का निर्णय में कोई हवाला नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने सैन्ट्रल को–ओपरेटिव बैंक भरतपुर द्वारा प्राप्त सूचना दिनांक 30.06.2015 व उसके साथ दिनांक 27.06.1988 को पारित प्रस्ताव का गलत अर्थ निकाला है कि दस्तावेज से यह सावित था कि प्रत्यर्थी को दिनांक 27.06.1988 को व्यवस्थापक पद पर 350/– रूपये माहवार पर नियुक्ति किया गया था। आवंटी कर्मचारी होने के कारण आवंटन का पात्र नहीं था। आवंटी भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आता है। उसके पास पहले से ही जमीन है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में भूमिहीन नहीं हैं। इससे स्पष्ट है कि आवंटी भूमिहीन नहीं है। आवंटी सलाहकार समिति का कोरम पूरा नहीं है। आवंटन आदेश पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष (उपखण्ड अधिकारी) के हस्ताक्षर ही नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के उपरान्त आवंटन निरस्त नहीं किया जाना मानने में कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि जब आवंटी ने आवंटन शर्तों की पालना नहीं की तो उसका आवंटन निरस्त होना चाहिए था। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमाया

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

जावे तथा प्रार्थना पत्र नियम 14(4) स्वीकार फरमाया जावे। अपीलान्ट द्वारा अपने कथनों के समर्थन में एलआर एक्ट पेज संख्या 247 से 250, न्यायिक दृष्टांत आरबीजे 2011 पेज 694, आरआरटी 2021(1)पेज 124, आरआरटी 2021 (1) पेज 212, आरआरटी 2021(2) पेज 1140, आरबीजे 2020 पेज 651, आरबीजे 2018 पेज 665, आरआरटी 2021(1) पेज 740, डीएनजे 2019(1) (Rev)पेज 49, आरबीजे 2018 पेज 665, आरबीजे 2021 पेज 700, आरबीजे 2021 पेज 703 एवं आरबीजे 2018 पेज 84 प्रस्तुत किये।

4. वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रार्थना पत्र पेश किया था उस वक्त आराजी पर रेस्पोडैन्ट के हक में खातेदारी हो चुकी थी। आवंटी को खातेदारी प्राप्त होने पर नियम 14(4) के अधीन आवंटन निरस्त नहीं हो सकता है। अपीलान्ट ने इस संबंध में कोई भी कानून पेश नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के सभी बिन्दुओं को एक साथ पढा जाना चाहिए। आवंटन के समय पटवारी रिपोर्ट प्रासंगिक है। आवंटन 1989 का है जबकि मौका रिपोर्ट दिनांक 23.07.2015 की है। आवंटन के समय 3 वर्षों में उक्त जमीन की स्थिति देखी जावेगी, न कि आवंटन के कई वर्षों के उपरान्त बाद की नहीं। खसरा गिरदावरी/जमाबन्दी के अलावा मौका रिपोर्ट को विधिक मान्यता नहीं दी जा सकती। आवंटी राजकीय कार्मिक नहीं है। 15 बीघा से कम भूमि होने पर भूमिहीन ही माना जावेगा। पिता के नाम 5 बीघा 15 विस्वा थी जिसमें से आवंटी का हिस्सा केवल 2 बीघा 10 विस्वा था। अतः आवंटी भूमिहीन की श्रेणी में था। आवंटन सलाहकार समिति का कोरम पूरा था तथा आवंटन आदेश पर उपखण्ड अधिकारी के हस्ताक्षर हैं। पट्टा यदि आविधिक है तो बाद की स्थितियॉ देखी नहीं जा सकती हैं। अन्य आवंटियों के साथ रेस्पोडैन्ट संख्या 1 को भी आवंटन आदेश दिनांक 28.06.1989 को जारी किया गया। अतः आवंटन विधि सम्मत किया गया है। अपील अपीलान्ट खारिज की जावे। रेस्पोडैन्ट द्वारा अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत डीएनजे 2018(2) पेज 726, आरआरटी 2008(2) पेज 835 एवं आरआरटी 2011(2)पेज 1149 प्रस्तुत किये।

5. राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के बिन्दु संख्या 11 के तहत खातेदारी अधिकार मिलने के पश्चात आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। केवल काश्तकारी अधिनियिम के प्रावधान के अधीन ही बेदखल किया जा सकता है न कि नियम 14(4) के अन्तर्गत। अपीलान्ट द्वारा इस संबंध में कोई भी कानून नहीं बताया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिनमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अधीनस्थ न्यायालय

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

द्वारा बाद परीक्षण पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधिसम्मत् है, जो किसी भी प्रकार से अवैधानिक नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है, वह सही हैं। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

6. बहस उभयपक्ष पर मनन किया। वकील उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पो. सं. 1/1 लगायत 1/4 के पिता ने विवादित आराजी के आवंटन हेतु उपखण्ड अधिकारी धौलपुर को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन किया। जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया कि आवंटी के पिता के नाम 5 बीघा 15 विस्वा बारानी भूमि उल्लेखित है। जिसमें प्रार्थी के हिस्से की भूमि 2 बीघा 10 विस्वा का उल्लेख तस्दीक पटवारी की रिपोर्ट में किया गया था। 2 बीघा 10 विस्वा नोशनल हिस्से के आधार पर आवंटी आवंटन का पात्र था। आवंटन कमेटी की सिफारिश के कॉलम में तहसीलदार, विकास अधिकारी एवं सरपंच के हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से अंकित हैं। परगना अधिकारी द्वारा आवंटन कमेटी की सिफारिश के आधार पर भूमि आवंटन किये जाने का आदेश पारित किया है। आदेश पर उपखण्ड अधिकारी के हस्ताक्षर स्पष्ट उल्लेखित हैं। अपीलांट का यह कथन पूर्णतया असत्य है कि आवंटन सलाहकार समिति का कोरम पूरा नहीं था और आवंटन आदेश पर उपखण्ड अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं। भरतपुर सैन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक के कार्यवाही विवरण में केवल आवंटी जगदीश पुत्र हरीसिंह को व्यवस्थापक के पद पर रखे जाने के प्रस्ताव का उल्लेख है। उक्त पत्र के आधार पर उसको राजकीय कार्मिक नहीं माना जा सकता। अवंटन के समय तस्दीक पटवारी रिपोर्ट में आराजी खसरा नम्बर 579 रकवा 6 बीघा 10 विस्वा को आवंटन योग्य माना है। आवंटन के पश्चात दिनांक 28.06.1989 को आवंटी के साथ–साथ अन्य आवंटियों को भी किये गये आवंटन का आदेश पारित किया गया। जिसमें आवंटियों को आवंटन की कार्यवाही कर नियमानुसार पटवार कागजात में अमल दरामद किये जाने का आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य न तो अधीनस्थ न्यायालय में और न ही अपीलय न्यायालय में पेश किया कि आवंटन के समय उसका वैध कब्जा विवादित आराजी पर था। न ही अपीलान्ट द्वारा आवंटन समिति के समक्ष किसी प्रकार का आवंटन हेतु कोई प्रार्थना पत्र भी पेश किया हो ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। आवंटन के पश्चात आवंटी को खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके हैं। रेस्पो. की ओर से प्रस्तुत न्यायिक नजीर डीएनजे 2018(2) पेज 726, आरआरटी 2008(2) पेज 835 में क्रमशः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर और माननीय राजस्व मण्डल

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

राजस्थान अजमेर द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात आवंटन की कार्यवाही निरस्त नहीं की जा सकती। केवल राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान के अधीन ही आवंटी को बेदखल किया जा सकता है। उक्त न्यायिक नजीर प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होती है।

7. उपरोक्त समस्त विश्लेषण के आधार पर यह स्पष्ट है कि रेस्पो. सं. 1/1 लगायत 1/4 के पिता के नाम किया गया आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर उपखण्ड अधिकारी के स्पष्ट हस्ताक्षरों से किया गया था। अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवंटन के समय विवादित आराजी पर उनका विधिक कब्जा हो। केवल मौका रिपोर्ट के आधार पर राजस्व दस्तावेजों की प्रविष्टियों को नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता। खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात आवंटन खारिज करने हेतु नियम 14(4) के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की जा सकती।

8. अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में न्यायालय के मत में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं हैं। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन आवंटन आदेश दिनांक 31.12.2015 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.04.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

05-04-2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर